न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 13/2016

1 रामेश्वर पुत्र लिछमण उर्फ लच्छा जाति जाट निवासी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गीता पत्नी भंवरलाल पुत्री मोहनलाल खीचड़।

2 सुरेश पुत्र भंवरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण खीचड़ो की ढ़ाणी तन सुल्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 लिछमण उर्फ लच्छा पुत्र दल्लाराम

4 कमला देवी पत्नी रिड़मल

5 बजरंगलाल पुत्र रिड़मल

6 सांवरमल पुत्र रिड़मल

7 महिपाल पुत्र रिड़मल

8 गणेश पुत्र नारायण

9 बलवीर पुत्र नारायण

10 जोधी देवी पत्नी स्व. हुक्माराम नाम हजफ

11 जगदीश प्रसाद पुत्र हुक्माराम

12 गोपाललाल पुत्र हुक्माराम

13 रूघाराम पुत्र हुक्माराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

14 शिवप्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम लालास तहसील नावां जिला नागौर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 राजस्थान शेखावाटी ग्रामीण बैंक खूड़ जरिए शाखा प्रबंधक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

16 सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा लोसल जरिए शाखा प्रबंधक जिला सीकरा।

17 तहसीलदार दांतारामगढ़ भूमिधारक राज्य सरकार तह. दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री बउनवानी
गीता आदि बनाम लिछमण आदि
मु.नं. 204/1991 न्यायालय सहायक कलेक्टर,
सीकर दिनांकित 27.05.1994

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र कुमार जाखड़ , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहन लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 204/1991 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.1994 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर के यहां एक दावा बाबत उद्घोषणा अधिकार स्थाई निषेधाज्ञा एंव इन्द्राजात दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता, खसरा नम्बर 616/1 रकबा 30 बीघा, खसरा नम्बर 644 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 464/1 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने खाते कब्जे काश्त की हे। विवादित कृषि भूमियों में 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादीगण के बाहमी बंटवारे में आया हुआ है तथा शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में है। इसी मुताबिक काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गयी है, प्रतिवादीगण संख्या 1 वादीगण को बेदखल कर विवादित आराजीयात को विक्रय करना चाहता है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को कानूनन कोई अधिकार नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजीयात को विक्रय न करने बाबत प्रतिबंधित किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावे। वाद पत्र पेश होने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया और वाद में अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त नही हुआ था, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, परन्तु लायक अदालत मातहत द्वारा कतई गलत रूप से अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

कर आदेश निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है। लायक अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील कतई विधि प्रावधानो के विपरित जाकर पारित किया है यदि विवादित भूमियों में वादीगण को 1/5 में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिए था वादीगण को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित करने से प्रार्थी अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित होते है। लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट को अपीलांट के समान ही शेष बच्ची भूमियों में हक अधिकार व बराबर हिस्सा किया जायेगा। लायक अदालत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वन्तो के विपरित जाकर प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना कतई गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित किया है। जबकि कानूनन सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने वाद पत्र में गलत सजरा खानदान अंकित किया है, क्योंकि लक्ष्मण के एक पुत्री भी थी जो खत्म हो गयी है लेकिन उसके वारिसान आज भी जीवित है, जिनको न तो सजरा खानदान में दर्शाया है और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार ही बनाया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने वाद पत्र में उद्घोषणा की सहायता चाही जो बिना कब्जे के नही दी जा सकती है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 कभी भी ग्राम खूड़ में नही रहे है। गीता देवी अपने पीहर ही आवास निवास कर रही है, रेस्पोडेंट गीता देवी के साथ ही रह रहा है, रेस्पोडेंट संख्या 2 का जन्म भी उसके ननिहाल में हुआ था और जन्म से लेकर आज तक वही निवास कर रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बिना कब्जे की सहायता चाहे उद्घोषणा का वाद डिक्री किया हे। जो विधि के प्रावधानो के विपरित है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने लिछमण के हिस्से की भूमि में लिछमण के पुत्र भंवरलाल की फौतगी पर उनके वारिसान बेवा व पुत्र के रूप में 1/3 हिस्से की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

की उदघोषणा चाही थी। विचारण न्यायालय ने जमाबंदी संवत 2018 से 2021 एवं जमाबंदी संवत 2043 से 2046 का विवेचन कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 586,616/1,644,645,646/1 में 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हुई है किन्तु अपील मेमो के साथ अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होना साबित हो। केवल मात्र अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही होने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विधि अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने लिछमण के हिस्से की भूमि में लिछमण के पुत्र भंवरलाल की फौतगी पर उनके वारिसान बेवा व पुत्र के रूप में 1/3 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा चाही थी। विचारण न्यायालय ने जमाबंदी संवत 2018 से 2021 एवं जमाबंदी संवत 2043 से 2046 का विवेचन कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 586,616/1,644,645,646/1 में 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हुई है किन्तु अपील मेमो के साथ अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होना साबित हो। केवल मात्र अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही होने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का विवेचन

[signature]
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर विधि अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर